न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट बबेरू, बॉदा।

परिवाद संख्या–428/नौ/2019

वसीम बनाम नफीस ।

थाना बबेरू जिला बांदा।

——————————

18.09.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। बार–बार पुकार कराये जाने के बावजूद भी परिवादिया की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में परिवादिया के धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयान होने के उपरांत पत्रावली 202 बयान हेतु नियत थी। परिवादिया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में और किसी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया है। परिवादिया के गवाहों के बयानों के अवलोकन से उपरोक्त घटना को बल नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त परिवादिया द्वारा इस परिवाद में सुचारू रूप से रूचि नहीं ली गयी है और विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है और बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं होता है। अतः प्रस्तुत परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अर्पिता साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बबेरू, बांदा।
जे.ओ. कोड यू0पी0 3624